न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक – 0-1.8.21

रीडर/2021/ 3261

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हेमाराम 2 दलाराम पिसरान तेजाराम जाति जाट निवासी आसाडा की बेरी, जसाई तहसील व जिला बाडमेर।		1 मलसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति राजपूत 2 गाजी खां पुत्र मांजी खां 3 शौकत अली पुत्र अगराखां जाति मुसलमान निवासी दांता 4 होता खां 5 सुजाल 6 उसमान पिसरान चिनेसरखां 7 देशल पुत्र शेरूखां जाति मुसलमान निवासी आसाड़ा की बेरी 8 मीना खां 9 कासम 10 हारून 11 अकबर पिसरान सुरता 12 गुल्लू 13 सखी 14 जमा 15 खमीशा पिसरान कासम खां जाति मुसलमान निवासी गुडीसर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 29.07.21

राजस्व आवेदन संख्या :– 77/2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसाढा की बेरी पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 206/61 रकबा 21.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 0-1.8.21

क्रमांक :– रीडर/2021/ 3270-3273

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जसाई तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हेमाराम पुत्र तेजाराम वगैराह जाति जाट निवासी आसाडा की बेरी, जसाई तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी मलसिंह पुत्र खुमानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी दांता तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

11 अकबर पुत्र सुरता उम्र 55 वर्ष